

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याया अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय। लखनऊ: दिनांक 8 सितम्बर, 1993

विषय: अयोध्या जनपद फैजाबाद में स्थित विवादित ढांचे को गिराये जाने से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए जनपद लखनऊ में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के अस्थाई न्यायालय/पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्शासकीय पत्र सं०-सी-907/1993, दिनांक 4 सितम्बर, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला लखनऊ में जनपद फैजाबाद अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को गिराये जाने से उत्पन्न वादों के शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अस्थायी न्यायालय/पदों को इन आदेशों के जारी होने के बाद कार्याार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 1994 तक, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायं, श्री राज्यपाल महोदय सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त न्यायालय के लिए निम्नलिखित पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में न्यायालयों के बने रहने तक या जब तक बिना पूर्व सूचना के उक्त पद समाप्त न कर दिये जायं सृजित किये जाने की भी राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

1-	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	1 एक।	4500-150-5700
2-	रीडर	1 एक।	1200-30-1560-द. र.
3-	अहलमद	2 दो।	-तदैव-
4-	मिस्त्रेनियस क्लर्क	1 एक।	-तदैव-
5-	आगुलिपिक ग्रेड-1	1 एक।	1400-40-1600-50-60-2600

7
30

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निर्देशक,
उच्च न्यायालय,
लखनऊ ।

आय: अधीनस्थ न्यायालय अनु-2

लखनऊ : दिनांक 06 फ़रवरी, 1995

विषय:- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 अधिनियम सं०-66/84
अधीन जनपद वाराणसी में पारिवारिक न्यायालय/पदों का पुनर्गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पारिवारिक न्यायालयों में विशेषकर विवाह संबंधी दिवादों में आपसी मुलह द्वारा समझौता कराने के उद्देश्य से लखनऊ न्यायालय के शीघ्र विचारण के लिए प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1986 से पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 अधिनियम सं० 66/84 लागू किया गया है, जिसे प्रारंभिक रूप से राज्यपाल महोदय जनपद वाराणसी में एक पारिवारिक न्यायालय (फेमिली कोर्ट) की स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- राज्यपाल महोदय पुनः उक्त न्यायालय के कार्य संचालन हेतु अनुसूची में उल्लिखित कुल 13 अतिरिक्त पदों को शासनादेश जारी होने या नियुक्ति का प्रस्ताव तिथि जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 1995 तक, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाय, सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं । इन पदों के धारकों को महंगाई तथा अन्य अन्वये उस सीमा तक ब्रह्मसूत्र प्रेषणों द्वारा होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों तथा राजाज्ञाओं द्वारा उनके अधिकारी होंगे । तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदधारकों की अर्हताएँ वहाँ होगी, जो वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों में कार्यरत उनके समतुल्य कर्मचारियों की है ।

..... 2/-

Registrar
74

Sd/- Adm. CA

ML


7-7-95

उक्त न्यायालय के लिए पट्टों के सृजन तथा अन्य संबंधित मदों पर चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में व्यय किए जाने की इत्र भी स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं। व्यय की मदों का विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। उपस्कर एवं टाइप राइटर मशीन आदि का क्रय स्टोर पर्येज नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4- न्यायालय भवन/ कार्यालय के लिए जज पारिवारिक न्यायालय जो किराया दर-141301, दिनांक 25 अगस्त, 1973 तय करेगा वह शासनादेश सं०-ए-2-1702/-1/1973 के अनुलग्नक में निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप तथा शासनादेश संख्या-2299/दस-एस-1-639/61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार देय होगा और उसके लिए प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजा जाय।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2014-न्याय प्रशासन -आजो जैलर -^{ले आ} शासनादेश संख्या-09-पारिवारिक न्यायालय के तहसिली द्वारा जारी किया जायेगा।

6- वे आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-9-490/दस-94, दिनांक 26 अक्टूबर, 1994 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
अनुलग्नक : धर्मोपज्ञ।

भवदीय,

अशोक कुमार श्रीवास्तव
तहसिली।

पू० सं०-48भा० सं० 11/सात-न्याय-2-66जी/94 तदुक्ति


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, प्रथम तहसिली/लेखा-21 उ०प्र०, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस संबंध में संबंधित न्यायालयों के नाम का प्राधिकार पत्र वाराणसी कोषाधिकारी को प्रेषित करने का कष्ट करें।

..... 3/-

- महलेखाकार, प्रथम भाडिटा 3050, इलाहाबाद ।
4. वित्त विभाग अडभाग-9, 3050शास ।
 5. वित्त आय-व्ययक अडभाग-1, व 2, 3050शास ।
 6. वित्त विभाग-2, 3050शास ।
 7. वित्त विभाग-1 व 2 को 3 प्रतिधरि महिल 3050शास ।
 8. प्रिवित्त अडभाग-4, 3050शास ।
 9. मुख्यमंत्री जी के प्रिवि सचिव, 3050, लखनऊ ।
 10. मुख्य सचिव के प्रिवि सचिव, 3050, लखनऊ ।
 11. गृह सचिव, 3050शास ।
 12. जल, वारिवारिक न्यायालय वाराणसी ।
 13. अधीक्षक, इण्डिया रव लेखन सामग्री, 3050, इलाहाबाद को इस अडरोध के साथ कि ये अधीक्षक सब सुविधन न्यायालय/कार्यालय के नाम अण्ड लेखन सामग्री की व्यवस्था सुधी भी अधीक्षक कर स तथा लेखन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करे का अडर करे ।
 14. कार्यालय अडभाग-1 व 2, उत्तर प्रदेश शास ।
 15. सचिवलय प्रालेखनण रव पुस्तकालय ।
 16. प्रिंटेर, उद्योग स्टोर परचेज कार्यालय ।
 17. जय रजिस्टर हेतु ।
 18. जिलाधिकारी, वाराणसी ।
 19. सचिव, उत्तर प्रदेश शास ।
 20. सभारत जिला जल, उत्तर प्रदेश ।
 21. प्रिंटेर, अधीक्षक पुस्तकालय सुधी, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।

आज्ञा से,


अध्यक्ष विद्यार्थी शुक्लः
संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-1

पारिवारिक न्यायालय जिला वाराणसी के लिए स्वीकृत पदों की सूची ।

क्र. सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	जज, पारिवारिक न्यायालय	1	4500-150-5700
2.	काउंसिलर/परामर्शदाता	1	2000-/- नियत मासिक वेतन
3.	तटर सुंसरिम	1	1640-60-2600-दररो-75-2900
4.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	1400-40-1600-50-2300-दररो-60-2600
5.	रीडर	1	1200-30-1560-दररो-40-2040
6.	वाट लिपिक/भरण पोषण लिपिक	1	-तदेव-
7.	निष्ठावादी लिपिक/संरक्षण लिपिक	1	-तदेव-
8.	लिपिक	1	-तदेव-
9.	सुतिलिपिक	1	950-20-1150-दररो-25-1500
10.	लिपि चरानी	1	750-12-870-दररो-14-94
11.	न्यायालय चरानी	1	-तदेव-
12.	अर्ली	1	-तदेव-
13.	सदेश वाहक	1	-तदेव-

कुल पद=

13 पद।

अध्य बिहारी शुक्ल
संपुक्त साचव ।

शासन आदेश संख्या-48भा0 सो/सात-न्याय-2-66जी/94, दिनांक

व्यय केन्द्र मदों का विवरण


मद	धराशि हजार रुपयों में
01-वेतन	2,19
03-महंगाई भत्ता	1,89
04-यात्रा व्यय	5
05-अन्य भत्ते	71
06-कार्यालय व्यय (अभावर्तक)	41
07-टेलीफोन पर व्यय (आवास कार्यालय)	18
11-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	50
08-अंतरिम सहायता	1
09-अन्य व्यय	2

योग = 5,96

अभावर्तक व्यय का विवरण

1-प्रिंटर मशीनें	2	12
2-प्रिंटर पुस्तकें	-	5
3-उपकरण	-	15
4-लौह की अलमारियाँ	2	5
5-दरियाँ	2	0.5
6-साइट फिले	2	2
7-टीकाल घड़िया	2	0.5
8-प्रौद्योगिक व्यय	-	1

योग = 41 (अभावर्तक)


 (अवध बिहारी शुक्ल)
 संपुक्त सचिव ।

प्रेषाय,

श्री इकरामुल बारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2। अधीनस्था।

दिनांक सन 21 अक्टूबर, 1994

विषय:- प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय हेतु 55 अस्थायी न्यायालयों/पदों का सृजन ।

महोदय,

प्रदेश के मैदानी जनपदों में भारी संख्या में सत्र परीक्षण फौजदारी अपीलें एवं पुनरीक्षण सत्र न्यायालयों में लम्बित होने के साथ-साथ हीवानी प्रकृति के उच्च आर्थिक जोषाधिकारिता संबंधी वाद, अपीलें तथा पुनरीक्षण संबंधी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु श्री राज्यपाल महोदय

55 पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अस्थायी न्यायालयों/

पदों को इन आदेशों के जारी हो जाने के बाद कार्याभार ग्रहण करने की तिथि

से 28 फरवरी, 1995 तक, यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर

दिए जाय, सृजित करने की सहमति प्रदान करते हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र

न्यायाधीश की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग से होगी,

जिसका वेतनमान सभ्य 4500-150-5700 होगा ।

2. उक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के लिए लिपिक तथा चतुर्थांश कर्मचारियों के पदों का उल्लेख अनुलग्नक में किया गया है, के अस्थाई स्तर से सृजन की दिनांक तिथि से उक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों की स्थापना हो अथवा उनके रद्द होने की तिथि से जो भी बाद में हो, 28 फरवरी, 1995 तक यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाय, के सृजन की भी

श्री श्री ०२०१९६१०

.... 2.

श्री राज्यपाल महोदय सह 1 स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन समस्त घट्ट धारकों को मंहगाई भात्ता तथा अन्य भात्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे जित्त सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राजाज्ञाओं द्वारा वे धाने के पात्र होंगे।

3. उक्त अतिरिक्त जिला एवं तत्र न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित घट्टों पर उनके सम्मुखा अंकित धानराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

	रुपया
1. वेतन 1 दो माह हेतु:	26,44,000
2. मंहगाई भात्ता-	25,50,000
3. यात्रा व्यय-	55,000
4. अन्य भात्ते-	1,03,000
5. कार्यालय व्यय-	5,50,000
।अ। प्रासंगिक व्यय:	5,50,000
।ब। उपस्कर का क्रय-	11,00,000
।स। विधि पुस्तकों का क्रय-	11,00,000
।द। टाइपराइटर का क्रय-	5,50,000
।य। टेलीफोन ओ0वाइ0टी0 सुविधा सहित-	8,25,000

कुल योग= 1,00,27,000

4. चूंकि उपरत कार्य अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रकृति का है और इसके चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय व्ययक में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, अतएव श्री राज्यपाल महोदय रुपया 1,00,27,000 रुपया एक करोड़ सत्ताइस हजार मात्र। की धानराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक गेहें मांगों के माध्यम से करा ली जायगी।

5. टाइपराइटरों एवं उपस्कर का क्रय स्टोर परेज नियमावली के अनुसार होगा। केवल हिन्दी के टाइपराइटर ही क्रय किए जाएंगे।

श्री राज्यपाल महोदय

... 3 ...

इस संबंध में होने वाला व्यवहार उपरोक्त समस्त प्रासंगिक व्यय
"30-राज्य आकस्मिकता निधि" एवं अंततः चालू वित्तीय वर्ष 1994-95
आय व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा प्रासंगिक "2014-न्याय-
शासन-आयोजनेतर-105-सिविल और सेवानुस न्यायालय-03-जिला तथा
सेवानुस न्यायाधीश" की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायगा।

भावदीप,
हकरामुल बारी
सचिव।

वित्त विभाग

संख्या-ई-9-सी०एफ०-304/दस-94-तद दिनांक।

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा एवं हकदार/आडिट-2, उत्तर
प्रदेशाबलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनाएं एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आशा से,

कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव
उप सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-442/सात-न्याय-2-217/79-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य मंत्री जी के सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव श्री राजसपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
3. नियुक्ति सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त जनषट न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निबंधक, उच्च न्यायालय, हाण्ड पीठ, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, उ०प्र० न्यायिक सेवा संघ, ए-1 जेजे कम्पाउन्ड, गवर दैरा कालोनी, लखनऊ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरो, उ०प्र०, वित्त विभाग, उ०प्र० सचिवालय।

सी/सी/००००००००

... 4. ...

11. वित्त-वेतन आयोग। अनु-भाग-1 तथा 2 । तीन प्रतियों में।
12. वित्त-व्यय नियंत्रण। अनु-भाग-9 । तीन प्रतियों में।
13. वित्त-सामान्य। अनु-भाग-1 व 2
14. न्याय अनु-भाग-9 । बजट।

आज्ञा से,

श्री श्री अमरेश्वर
। सतलुगो कलेक्ट ।
विशेष सचिव ।

गातनादेशा संख्या-442/सात-न्याय-2-217/79, दिनांक 21 अक्टूबर,
1994 का संलग्नक ।

प्रदेश के प्रत्येक मैदानी जिले में एक-एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय कुल 55
न्यायालयों के पदों/न्यायालयों के सृजन का विवरण ।

सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	4500-5700	55 [पचपन]
2-	पेशाकार	1350-2200	55 [पचपन]
3-	आधुनिक ग्रेड-1	1400-2300	55 [पचपन]
4-	अटली	750-940	55 [पचपन]
5-	चपरासी	750-940	55 [पचपन]
सम्बद्ध कार्यालय			
1-	मुख्य लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
2-	वाह लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
3-	सत्र लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
4-	अपील एवं विविधा लिपिक	1200-2040	55 [पचपन]
5-	प्रतिलिपिक	950-1500	55 [पचपन]
6-	दफ्तरी	775-1025	55 [पचपन]

योग= 605 [छः सौ पचास]

श्री श. सुब्रह्मण्यम्
[एसओएसओ कुलपति]
विशेष सचिव ।

सुधारण अधिनियम से अप्रभावित रहे बाद, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा उत्तर प्रदेश राजा विधुत परिषद की तर्जिता इकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है, की सुनवाई भी की जा सकती है।

अपर जिला एवं तत्र न्यायालय के लिए स्वीकृत कुली क्रेणी के कर्मचारियों की भती छटनी गुदा कर्मचारियों में ले की जायेगी।

5- इन मदों के धारकों को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिसे सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राज्याइकों द्वारा वे उनके अधिकारी होंगे।

6- उक्त अपर जिला एवं तत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए वार्षिक वित्तीय वर्ष 1994-95 में उनके सामने अंकित धनराशि को व्यय कर लिये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः "8000-आकृतिमत्ता निधि" के नामे डाला जायेगा तथा अततः वार्षिक वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजन-105-सिविल और सेजन्स न्यायालय-03-जिला न्यायाधीश" की त्तगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

श्री 31-10-95
एस.एस. कुलकर्णी
प्रियेय सचिव।

वित्त विभाग

संख्या: -ई-9 सीएम-558/दत-1995 तददिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट-2, 3090, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रतिलिपि तद्विषय सुचनार्थ एवं आकृषक कार्रवाई हेतु प्रेषित आता है।

वैलाक ए. गंगाधर
उप सचिव, वित्त।
.....3/-

611/सत-न्याय-9 [बजट] / 1994 तदतिनादि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुपुनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- जिला जज, मेरठ/बरेली/लखनऊ/वाराणसी एवं गोरखपुर ।
- 2- जिला अधिवक्ता, मेरठ/बरेली/लखनऊ/वाराणसी तथा गोरखपुर ।
- 3- अध्याधिकायी, मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर ।
- 4- जिला जज, आयोग-1/21 दो-दो प्रतियों में।
- 5- जिला जज, आयोग-9/3 प्रतियों में।
- 6- प्रमुख सचिव, नतकता, उ०प्र०शासन ।
- 7- जिला जज, आयोग-1/2
- 8- नियुक्ति-4
- 9- अपर निरन्धर, उच्च न्यायालय, लखनऊ का डायरी, लखनऊ ।
- 10- साईं हूज के लिए ।
- 11- न्याय-9 के लिए ।

... का से,
 श्री ...
 सत०रत०कुल०पठ०
 विशेष सचिव ।

प्रतिलिपि

संविदा अधिकांश के लंबित बाटों की तुल्यवर्ती मण्डल स्तर पर
राज्य के लिए मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त
जिला एवं तहसील न्यायाधीश के न्यायालय:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1-	अतिरिक्त जिला एवं तहसील न्यायाधीश	5	रु. 4500-150-5700
2-	रीडर	5	रु. 1200-30-1560-2000-40-2040
3-	अधीनस्थ न्यायाधीश	5	रु. 800-100-1100-1400-50-2300-2000-6-2600
4-	आभिलिषिक ग्रेड I	5	रु. 950-20-1150-2000-25-1500
5-	निरीक्षक कर्क/असुराईमिटर/कापिस्ट	10	रु. 750-12-970-2000-14-940
6-	अदाली/कारागी		
7-	कॉपीपेश/अंशाली लिख		

श्री/श्रीमती
सहायक न्यायाधीश
विशेष न्यायालय

फॉ. 41-2010/आ. 1-न्याय-2-10/बी. 94

श्री श्रीमकर न्याय प्रमुख, सिविल, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश

निवेदनक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय

तारीख: दिनांक 19 अक्टूबर, 1995

प्रश्न: प्रेक्षा में नवतुलित सीमा जमादों पडरीना, शहीदा तथा महीबा जिला एवं राज न्यायालय, सिविल जज, उच्च न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के लिये न्यायालयों/पदों के सुजन।

श्रेष्ठ,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि राज्यपाल हीटय प्रदेश में नवतुलित तीन जमादों पडरीना, शहीदा तथा महीबा जिला एवं न्यायाधीन, सिविल जज, उच्च न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों/पदों को संलग्न में उल्लिखित विवरणों में निर्दिष्ट क्रिये जा रहे न्यायालयों/पदों की संख्या एवं उनके पदनाम/व्यवस्थापन का विवरण प्रदर्शित है। के अनुसार इन आदेशों के कार्यान्वयन के बाद कार्यालय प्रेषण करने की तिथि है, यदि जमाद पूर्व सुचना के पहले ही जमाद न. को दिया जाय, दिनांक 29 फरवरी, 1996 तक के लिये मुंसिफ जज के लिये नवीकृत सहाय प्रदान करने हैं। के लिये अपने संबंध में कहे जाने वाले कार्यों।

1. जब तक सभी श्रेणी के न्यायालय कार्यरत नहीं हो जाते तब तक न्यायाधीन के पद पर मुंसिफ जज का कार्य निरंतर जारी रहेगा।
2. उपर्युक्त पद धारकों को संलग्न द्वारा समय समय पर संपीठा देना तथा अन्य भर्ती अनुसन्ध होना।
3. इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय उक्त तीन जमादों के न्यायिक अधिकारियों के अयोग्य प्रत्येक जिला जज के लिये संलग्न क्रिया तथा

R. C. S. (B) 50. 114. 114

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

कार्यालय टेलीफोन कुल 6 टेलीफोन प्रति जिला जज की दर से कुल 18 टेलीफोन
इस 0टी0डी0 सुविधा रहित जो 180टी0 योजना के अंतर्गत लगाये जा रहे
लिये वित्तीय वर्ष 1995-96 में रु 3, 60 लाख व्यय किये जाने की सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

5. उपर्युक्त तीनों जन्पदों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 1 विशेष-
कार्याधिकारी को शासनदेश संख्या-स-2-1701/दर-1941/73, तदनांक
08 जुलाई, 1973 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत अपने कार्यालय न्यायालय
तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों/कार्यालयों के लिये आचरण एवं वितरण अधिकारी
घोषित किये जाते हैं ।

6. उक्त तीनों जन्पदों में न्यायालयों का नगवना संबंध में
निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के सामने उल्लिखित धनराशि का कुल योग
रु 1, 03, 41 एक करोड़ तीन लाख इक्ता तीस हजार रुपये मात्र होता है,
वित्तीय वर्ष 1995-96 में व्यय को आपके नियंत्रण में रखी गयी है :-

लेखा शीर्षक

धनराशि
[हजार रुपये]

लेखा शीर्षक	धनराशि [हजार रुपये]
*2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेतर-	
105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-	
03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश	
01- वेतन	
03- मंहगाई भत्ता	55, 65
04- यात्रा व्यय	22, 22
05- अन्य भत्ते	1, 00
06- कार्यालय व्यय	9, 10
07- टेलीफोन पर व्यय	10, 00
09- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3, 60
	50

2-अन्तरिम सहायता

2,84

33-जन्य व्यय

0,50

योग - 1,03,41

7. उपर्युक्त न्यायालयों/पदों पर होने वाला व्यय प्रथम वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखा शीर्षकों की यथोचित प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

8. ये आदेश वित्त विभाग के आदेशकीय संख्या-5-9-853/दस-95, दिनांक 18 सितम्बर, 1995 में प्राप्त उ की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

खेमकरन

प्रमुख सचिव, न्याय।

संख्या-2010/1/सात-न्याय-2-10जी/94, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-21, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, गAO मुख्य मंत्री का, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, राजस्व विभाग।
5. सचिव, गृह विभाग।
6. कोषाधिकारी, पडरौना, भदोही तथा महेवा।
7. समस्त जिला जज तथा विशेष कायाधिकारी, पडरौना, भदोही तथा महेवा।
8. अपर निदेशक, उच्च न्यायालय, हाइड पीठ, लखनऊ।
9. निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
10. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड, 510, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद।
12. कोषाधिकारी, पडरौना, भदोही तथा महेवा।
13. निवृत्त अनुभाग-4
14. वित्त लेखा-9 अनुभाग (तीन प्रतियों में)
15. वित्त लेखा अनुभाग-2
16. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1 व 2 16-6 प्रतियों में
17. वित्त सामान्य अनुभाग-1
18. वित्त बजट अनुभाग-1
19. न्याय अनुभाग-9 बजट
20. प्रमुख सचिव, न्याय तथा न्याय सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/विधि परामर्शी, पुस्तकालय।
21. संबंधित पत्रावलियों में 1100जी/94, 51जी/95 अभिलेखार्थ।
22. गार्ड फाइल के लिए एक प्रति।
23. निदेशक, अधिष्ठान-प्रशिक्षण ब्यूरो, 3090 सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

अस्मा कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-2010/सात-न्याय-2-104जी/4, दिनांक 19-9-1995
द्वारा सृजित नवसृजित जन्पदों परहरौना, जोही तथा म्होबा की
स्थापना किये जाये हेतु न्यायालयों/पदों का सृजन।

1-जिला एवं सत्र न्यायालय-3

पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1- जिला एवं सत्र न्यायाधीश	5100-150-5700	3
2- सटलर सुपरिम	1040-60-2600-दो रो-75-2900	3
3- रीडर	1400-40-1800-दो रो-50-2300	3
4- वैयक्तिक सहायक	1640-60-2600-दोरो 75-2900	3
5- सत्र लिपिक	1200-30-1500-दोरो -40-2040	3
6- सूट्स क्लर्क	-- तदैव --	3
7- विविध क्लर्क कम इजराय क्लर्क	-- तदैव --	3
8- अपील क्लर्क	-- तदैव --	3
9- अर्दली	750-12-870-दोरो- 14-40	3
10-कार्यालय चपरासी	-- तदैव--	3
11-दफतरी	775-12-871-दोरो- 14-1025	3

2- सिविल जज का न्यायालय-3

सिविल जज सीनियर डिप्टी जज

1- सिविल जज	3000-100-3500-105- 500	3
2- आशुलिपिक	1200-30-1560-दोरो- 10-2040	3

... 2/-

3-	मुंसरिम	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
4-	रीडर	-- तदैव --	3
5-	तुइस कलक	-- तदैव --	3
6-	वि विधा कलक कम इजराय कलक	-- तदैव --	3
7-	अपील कलक	-- तदैव --	3
8-	दफतरा	775-12-871-दोरों-14-1025	3
9-	कार्यालय चपरासी	750-12-870-दोरों-14-940	3
10-	अर्दली	-- तदैव --	3

3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय-3

1-	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	3000-100-3500-125-4500	3
2-	आशुलिपिक	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
3-	रीडर	1350-30-1440-40-1800-दोरों- 50-2200	3
4-	अहलमद	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
5-	अर्दली	750-12-870-दोरों-14-940	3
6-	कार्यालय चपरासी	-- तदैव --	3

4- न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय-3

1-	न्यायिक मजिस्ट्रेट	3000-100-3500-125-4500	3
2-	आशुलिपिक	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
3-	रीडर	-- तदैव --	3
4-	अहलमद	-- तदैव --	3
5-	अर्दली	750-12-870-दोरों-14-940	3
6-	कार्यालय चपरासी	-- तदैव --	3

5- मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय पडरौना व भदोही-2

ति विल जज जूनियर डिवीजन

1-	मुंसिफ मजिस्ट्रेट	2200-75-2800-दोरों-100-1000	2
----	-------------------	-----------------------------	---

..... 3/-

1- मुसौदारि	1200-30-1560-दोरों-40-2040	2
2- अंगुलिपिक	--- तदैव ---	2
3- सीडर	--- तदैव ---	2
4- सूदत कर्क	--- तदैव ---	2
5- विविध कर्क कम इजराय कर्क	--- तदैव ---	2
6- दफतरी	775-12-871-दोरों-14-1025	2
7- अर्दली	750-12-870-दोरों-14-940	2
8- कार्यालय चपरासी	--- तदैव ---	2

6- नवसृजित 3 जन्मदीय न्यायाधीशों के प्रशासनिक अमुक्तों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग

क्र.सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1-	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	2000-60-2300-दोरों-75-3200	3
2-	द्वितीय कर्क प्रशासनिक लिपिक	1350-30-1440-40-1800-दोरों-50-2200	3
3-	तंकर	950-20-1150-दोरों-25-1500	3
4-	विविध कर्क	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
5-	सेन्ट्रल नाजिर	1400-40-1800-दोरों-50-2300	3
6-	सहायक नाजिर	1200-30-1560-दोरों-40-2040	6
7-	नोटिस सर्वर	750-12-870-दोरों-14-940	6
8-	ग्रासेम सर्वर	--- तदैव ---	18
9-	रिकार्ड कीपर दीवानी/फौजदारी	1200-30-1560-दोरों-40-2040	6
10-	सहायक रिकार्ड कीपर दीवानी/फौजदारी	950-20-1150-दोरों-25-1500	6
11-	दफतरी	775-12-871-दोरों-14-1025	3
12-	बंडल लिफ्टर	--- तदैव ---	6
13-	हेड का पिस्ट दीवानी/फौजदारी	1350-30-1440-40-1800-दोरों-50-2200	6

14- कां पिस्ट [केस डायरीज]	950-20-1150-दोरों-25-1500	12
15- कां पिस्ट [दीवानी]	-- तद्व --	15
16- पुस्तकालय लिपिक	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
17- स्टेशनरी क्लर्क	950-20-1150-दोरों-25-1500	3
18- कार्यालय चपरासी	750-12-870-दोरों-14-940	3
19- अमीन ग्रेड-2	1200-30-1560-दोरों-40-2040	6
20- चपरासी [अमीन]	750-12-870-दोरों-14-940	6
21- बिल क्लर्क	1200-30-1560-दोरों-40-2040	3
22- कैशियर	-- तद्व --	3
23- कनिष्ठ लेखा लिपिक	950-20-1150-दोरों-25-1500	3
24- चौकीदार	750-12-870-दोरों-14-940	6
25- स्वीपर कम फराईश	अंशकालिय नियत वेतन रु 785/- प्रतिमाह	
26- इन्ड्रवर	950-20-1150-दोरों-25-1500	6

अभ्या हु मर श्र वास्तव
संयुक्त सचिव ।